Real Estate Regulatory Authority Madhya Pradesh | भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण मध्यप्रदेश
रेरा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल दूरभाष-0755-2556760
Website:- www.rera.mp.gov.in, Email id- secretaryrera@mp.gov.in

क्रमांक 2022/II-R/A-05/F-393/607 भोपाल, दिनांक 24/02/2022

प्रति,
त्रिपुण रियल एस्टेट एन डेव्हलपर्स,
सम्प्रवर्तक,
जी पी ओ रोड, रतलाम(म०प्र०) 457001

विषय: परियोजना- सियाराम, धार (REF. No. 814391064664) के संबंध में।

- O -

कृपया विषयांकित आपके आवेदन का स्मरण करें।

प्राधिकरण के आदेशानुसार मुझे यह सूचित करने के निर्देश हुए है कि :-

" परियोजना **सियाराम, धार** का पंजीकरण सशर्त मान्य किया गया है। परियोजना को पंजीयन क्रमांक **P-BNW-22-3162** आवंटित किया गया है। ***परियोजना प्रमाण पत्र एवं आदेश की प्रति संलग्न है।*** "

कृपया उपर्युक्तानुसार सूचना आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।

**संलग्न - उपरोक्तानुसार।**

(नीरज दुबे)
सचिव
म०प्र० भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण

Real Estate Regulatory Authority Madhya Pradesh | भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण मध्य प्रदेश

रेरा भवन, अरेरा हिल्स, मेन रोड नं. 1, भोपाल-462011

प्ररूप "ग"

{नियम 6 (1) देखिए)}

# परियोजना का पंजीयन प्रमाण-पत्र

यह पंजीयन अधिनियम की धारा 5 के अधीन निम्नलिखित परियोजना को परियोजना पंजीयन क्रमांक P-BNW-22-3162 अधीन मंजूर किया जाता है :-

परियोजना- सियाराम, धार (म.प्र.)

(परियोजना पते को सम्मिलित करते हुए परियोजना के ब्यौरे विनिर्दिष्ट कीजिए):

1. (व्यक्तिगत की दशा में) श्री/श्रीमती ..........
पुत्र श्री/श्रीमती ..........
तहसील .......... जिला .......... राज्य ..........

या

(फर्म/सोसाइटी/कंपनी/सक्षम प्राधिकारी की दशा में) त्रिपुण्ड रियल स्स्टेट एण्ड डेव्हलपर्स फर्म/सोसाइटी/कंपनी सक्षम प्राधिकारी .......... में इसका पंजीकृत कार्यालय/कारोबार का प्रमुख स्थान होगा। G.P.O. ROAD- रतलाम-म.प्र.

2. यह पंजीयन निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन मंजूर किया जाता है, अर्थात् -

(एक) सम्प्रवर्तक "उपबंध-क" में यथा उपबंधित के साथ विक्रय हेतु करार करेगा।

(दो) सम्प्रवर्तक धारा 17 के अनुसार कॉमन क्षेत्र या अपार्टमेंट के, जैसी भी स्थिति हो, आबंटिती के संघ या आबंटिती के पक्ष में हस्तांतरण विलेख को निष्पादित या पंजीकृत करेगा।

(तीन) सम्प्रवर्तक धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (1) के उपखण्ड (घ) के अनुसार निर्माण लागत तथा इस प्रयोजन के लिए उपयोग की जानेवाली भूमि की लागत को पूरा करने के लिए सम्प्रवर्तक द्वारा वसूली गई रकम का सत्तर प्रतिशत अनुसूचित बैंक में बनाए रखने के लिए अलग खाते में जमा करेगा।

(चार) पंजीयन दिनांक 22-02-2022 से शुरू करते हुए 31-10-2024 के साथ समाप्त करते हुए .......... वर्ष की कालावधि के लिए वैध होगा, यदि अधिनियम की धारा 7 के साथ पठित धारा 8 के अनुसार रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण द्वारा नवीकृत नहीं कराया जाता है।

(पांच) सम्प्रवर्तक इसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों को अधिनियम के उपबंधों के साथ लागू करेगा।

(छः) सम्प्रवर्तक क्षेत्र में लागू जहां परियोजना का विकास किया जा रहा है तत्समय किसी अन्य कानून के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करेगा।

3. यदि उक्त उल्लिखित शर्तें सम्प्रवर्तक द्वारा पूरी नहीं की जाती हैं, तो विनियामक प्राधिकारी अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के अनुसार इसमें पंजीयन मंजूरी को प्रतिसंहत करते हुए सम्प्रवर्तक के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई कर सकेगा।

4. उक्त परियोजना प्रकरण प्राधिकरण के आदेश में अंकित शर्तों के अध्यधीन।

दिनांक : 22-02-2022

स्थान : भोपाल

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण

# म-प्र-भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण, भोपाल

आदेश–पत्रिका

प्रोजेक्ट का नाम– SIYARAM, KASBA BADNAWAR TEH BADNAWAR DIST. DHAR प्रोजेक्ट आई डी: 814391064664

| कार्यवाही की तारीख, स्थान | आदेश | प्रतिनिधि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 21.02.2022 | प्रोजेक्ट का नाम – Siyaram, Kasba Badnawar Teh Badnawar Dist. Dhar.<br>सम्प्रवर्तक का नाम – Tripund Real Estate N Developers, Ratlam. | |

उपसचिव एवं पंजीयन अधिकारी द्वारा लेख किया गया है कि प्राधिकरण की आदेश पत्रिका दिनांक 21.01.2022 के अनुकम में बैंक खाता संप्रवर्तक के नाम पर है अतः परियोजना के नाम पर खाता खोलने को छोड़कर शेष औपचारिकताएं आवेदक द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं एवं पंजीयन आवेदन मान्य किये जाने की अनुशंसा की गई है।

आवेदक Tripund Real Estate N Developers, Ratlam हैं, जो कि पार्टनरशिप फर्म श्रेणी के आवेदक हैं, उनके द्वारा, परियोजना Siyaram, Kasba Badnawar Teh Badnawar Dist. Dhar का पंजीयन भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के अंतर्गत किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदक द्वारा, भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 धारा 4 (2) एवं म.प्र. भू–संपदा (विनियिमन एवं विकास) नियम 3 के अंतर्गत पंजीयन अधिकारी की टीप के अनुसार आवेदक द्वारा परियोजना के नाम पर बैंक खाता छोड़कर शेष अपेक्षित परियोजना विवरण, सक्षम प्राधिकारी की प्रतियां एवं शपथ पत्र समर्थित घोषणाएं प्रस्तुत की गई हैं। परियोजना ग्राम– खेड़ा, तहसील– बदनावर, जिला– धार के खसरा क्र. 2250/1/1, 250/1/2 कुल रकबा 2.149 हैक्टेयर पर प्रस्तावित हैं। पंजीयन अधिकारी की संक्षेपिका अनुसार भूमि आवेदक फर्म के स्वामित्व की है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र फार्म बी के अनुसार भाररहित है।

परियोजना नवीन हो कर भूखण्ड विकास से संबंधित है जिसमें 2.149 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रुपये 232.29 लाख की लागत से विकसित की जानी हैं, जिसमें 172 भूखण्ड विकसित किये जाने हैं। पंजीयन अधिकारी की परीक्षण टीप के अनुसार सिर्फ बैंक खाता परियोजना के नाम पर खोले जाने का विवरण प्रस्तुत नहीं किया जाना पाया गया है। अतः परियोजना के खाते को छोड़कर शेष वांछित औपचारिकताएं पूर्ण होने से पंजीयन हेतु विचाराधीन आवेदन अधिनियम की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर स्वीकार किया जाता है। परियोजना की पूर्णता तिथि आवेदन में दर्शाये अनुसार दिनांक 31.10.2024 रहेगी। अधिनियम की धारा 11 एवं नियम 9, 14, 15, 16 में वर्णित सम्प्रवर्तक के कृत्य एवं कर्त्तव्यों का पालन सम्प्रवर्तक द्वारा किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त पंजीयन निम्न शर्तों के अध्यधीन होगा –

1. सम्प्रवर्तक अधिनियम की धारा 4 (2)(ठ)(ई) के अनुसार आवंटितियों से इस भू–संपदा परियोजना के लिये समय–समय पर वसूल की गई रकमों का 70% निर्माण के खर्चों एवं भूमि की लागत को पूरा करने के लिये किसी अनुसूचित बैंक में पृथक खाता खोलेगा और उस खाते में जमा रकम सिर्फ इस परियोजना में प्रयोजन के लिये ही उपयोग कर सकेगा। सम्प्रवर्तक इस प्रकार खाता खोलकर जानकारी प्राधिकरण को 15 दिवस में उपलब्ध करायेगा।

आई.टी. ऑपरेटर ऑनलाईन प्रविष्टि करे एवं सचिव प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में अनुवर्ती कार्यवाही की जाये।

सही

(एस.एस. राजपूत)
सदस्य

सही

(ए.पी. श्रीवास्तव)
अध्यक्ष